(नवीन मान्यता)

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाध्यापक,
शैम फोर्ड स्कूल,
विकासखण्ड रूडकी, हरिद्वार।

पत्रांक : बेसिक / 4567-69 / मान्यता / 2012-13 दिनांक 30/5/12

विषय : **प्राईमरी स्तरीय (कक्षा 1 से 5) तक नवीन मान्यता की स्वीकृति।**

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4 संख्या 266 / XXIV-4 / 2009 देहरादून दिनांक 10 जुलाई 2009 के अध्याय-सात में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र पर उपखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या, खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 07 मई 2012 में लिये गये निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 5 तक की अस्थाई मान्यता **दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2017 तक** पांच वर्षो के लिये निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है। इस अवधि में सम्बन्धित विद्यालय को विभाग द्वारा निर्धारित सभी शर्तो / मानकों को पूर्ण होने से पूर्व मानकों की पूर्ति कर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा। आपके द्वारा निम्न प्रतिबन्धों का पालन न करने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।

1- **विद्यालय प्रबन्ध समिति / सोसायटी का समय पर पंजीकरण व नवीनीकरण कराया जाय। विद्यालय में समस्त अध्यापक / अध्यापिकायें प्रशिक्षित नियुक्त किये जाय।**
2- **विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों / कर्मचारियो को विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान व अन्य भत्ते प्रदान किये जाय।**
3- **विद्यालय के छात्रों से विभागीय नियमानुसार ही शुल्क लिया जाय तथा समस्त निधियों का लेखा उचित रूप में रखा जाय और डाकघर या अनूसूचित बैंक में जमा किया जाय।**
4- **विद्यालय में छात्र / छात्राओं को विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की पढ़ाया जाय।**
5- **विद्यालय की कोई अन्य शाखा किसी भी स्थान पर संचालित न की जाय और न ही विद्यालय में अनियमित कक्षाओं का संचालन किया जाय।**
6- **उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम-2006 व इसके विनियमों तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों / विभागीय आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा।**
7- **शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 का पूर्णत्य पालन किया जाय।**

भवदीय,

ह0 / -
जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

पृष्ठांकन संख्या : बेसिक / / मान्यता / 2012-13 तद् दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी / उपखण्ड शिक्षा अधिकारी, रूडकी।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।

अपर जिला शिक्षा अधिकारी, (बेसिक)
हरिद्वार।